

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म0प्र0)

// विविध कार्यालयीन आदेश //

क्रमांक ११/सां०अनु०/२०२३
(एक-१५-१०/२०२२)

भोपाल, दिनांक २१/०९/२३


इस जिला स्थापना पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारीगण उल्लेखित माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर के सार्वजनिक अवकाश के दिवसों में निम्नानुसार मुख्यालय पर उपस्थित होकर अपने न्यायालय में दोपहर ०३ बजे से ०५ बजे तक आवश्यक आपराधिक, रिमांड एवं जमानत संबंधी कार्य का निराकरण करेंगे :-

क्र.	दिनांक	अवकाश दिवस	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम
01	06.08.2023	रविवार	श्री अरविंद कुमार शर्मा, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
02	13.08.2023	रविवार	श्री धर्मेश भट्ट, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश सीबीआई, भोपाल
03	15.08.2023	स्वतंत्रता दिवस	श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी, अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय क्रमांक २, विद्युत अधिनियम, भोपाल
04	19.08.2023	तृतीय शनिवार	श्री विनय कुमार भारद्वाज, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
05	20.08.2023	रविवार	सुश्री शैलजा गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय क्रमांक १, विद्युत अधिनियम, भोपाल
06	27.08.2023	रविवार	श्री राजीव के० पाल, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
07	30.08.2023	रक्षाबंधन	श्री धर्मेन्द्र कुमार टाडा, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
08	03.09.2023	रविवार	श्री बलराम यादव, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
09	07.09.2023	जन्माष्टमी	श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, नवम अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
10	10.09.2023	रविवार	श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर, दशम अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
11	16.09.2023	तृतीय शनिवार	श्री माधव प्रसाद नामदेव, ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
12	17.09.2023	रविवार	श्री संतोष कुमार कोल, बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
13	18.09.2023	गणेश चतुर्थी	श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
14	19.09.2023	गणेश चतुर्थी (स्थानीय अवकाश)	श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय, सोलहवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
15	24.09.2023	रविवार	श्री सचिन कुमार घोष, अठारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
16	28.09.2023	ईद-मिलाद उन -नबी	श्रीमती रश्मि मिश्रा, उन्नीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
17	01.10.2023	रविवार	श्री पंकज कुमार जैन, बीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
18	02.10.2023	गांधी जयंती	श्री जयंत शर्मा, इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
19	08.10.2023	रविवार	श्री अतुल सक्सेना, तेईसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
20	15.10.2023	रविवार	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, चौबीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल



21	21.10.2023	तृतीय शनिवार	श्री प्रहलाद सिंह कैमेथिया, पच्चीसवे अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
22	22.10.2023	रविवार	श्री अमित रंजन समाधिया, छब्बीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
23	23.10.2023	महानवमी	श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल
24	24.10.2023	दशहरा	श्री स्वयं प्रकाश दुबे, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल
25	25.10.2023	स्थानीय अवकाश	श्री अजय नील करोठिया, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल
26	29.10.2023	रविवार	श्री प्रदीप कुमार वरकडे, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल

नोट : निर्धारित रिमाण्ड ड्यूटी हेतु नामांकित अधिकारी यदि व्यक्तिगत कारणों से ड्यूटी दिनांक में बदलाव चाहते हैं तो अपने साथी न्यायाधीश की सहमति प्राप्त कर आवेदन प्रस्तुत करने पर ही तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (मध्यप्रदेश)

पृ०कं० 9992 / सा०अनु० / 2023
 (एक-15-10 / 2022)

भोपाल, दिनांक 28/10/23

प्रतिलिपि :-

1. विशेष न्यायाधीश (अनु०जाति / अनु०ज०जा०(अ०नि०) अधि०), भोपाल
2. समस्त अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
3. जिला अभियोजन अधिकारी, जिला न्यायालय, भोपाल
4. जिला लोक अभियोजक, जिला न्यायालय, भोपाल
5. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल
4. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, भोपाल,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (मध्यप्रदेश)

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल मध्य प्रदेश


जावक क्रमांक-138/2023

भोपाल, दिनांक-28.06.2023

// विविध आदेश //

माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2023 के शासकीय अवकाश के दौरान आवश्यक अपराधिक एवं रिमाण्ड कार्य को निष्पादित करने के लिए जिला न्यायालय भोपाल के निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित की जाती हैं। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे:-

क्रं	न्यायिक अधिकारी का नाम	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023
1	श्रीमती सोनम वर्मा जे.एम.एफ.सी.	2		
2	श्रीमती अश्विनी सिंह जे.एम.एफ.सी.	9		
3	सुश्री तनुश्री शिवहरे जे.एम.एफ.सी.	15		
4	श्री राजकुमार तोरनिया जे.एम.एफ.सी.	16		
5	श्रीमती शीला मैना यादव जे.एम.एफ.सी.	23		
6	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जे.एम.एफ.सी.	29		
7	श्री विधान माहेश्वरी जे.एम.एफ.सी.	30		
8	श्रीमती मंजूषा तेकाम जे.एम.एफ.सी.		6	
9	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जे.एम.एफ.सी.		13	
10	श्री अरूण सिंह जे.एम.एफ.सी.		15	
11	श्री सुरेश बारगीया जे.एम.एफ.सी.		19	
12	श्री लोकेश तारण जे.एम.एफ.सी.		20	
13	श्रीमती चेतना दीक्षित जे.एम.एफ.सी.		27	
14	श्री संदीप कुमार नामदेव जे.एम.एफ.सी.		30	
15	श्री रजनीश ताम्रकार जे.एम.एफ.सी.			3
16	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जे.एम.एफ.सी.			7
17	श्री तथागत याग्निक जे.एम.एफ.सी.			10
18	सुश्री लघुता मरकाम जे.एम.एफ.सी.			16
19	श्री मृदुल लटोरिया जे.एम.एफ.सी.			17
20	श्री बृजेश चंसोरिया जे.एम.एफ.सी.			18


28.06.2023

21	सुश्री एकता ठाकुर जे.एम.एफ.सी.		19
22	श्री प्रशांत मर्सकोले जे.एम.एफ.सी.		24
23	सुश्री ऋचा भट्ट जे.एम.एफ.सी.		28

नोट:-

1. यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुए मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमांड ड्यूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिवस पर कोई अवकाश अचानक घोषित किया जाता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे:-

1. माह जुलाई 2023 में श्री राजकुमार तोरनिया जेएमएफसी भोपाल
2. माह अगस्त 2023 में श्री रवि कुमार बौरासी जेएमएफसी, भोपाल
3. माह सितम्बर 2023 में श्री लोकेश तारण जेएमएफसी भोपाल

3. पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी। तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।

4. यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते हैं तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल को देनी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।

(अमर सिंह सिसोदिया)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
भोपाल 28.06.2023

पृष्ठार्कन क्रमांक...139.../2023

भोपाल, दिनांक 28.06.2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल
3. रीडर, सीजेएम कोर्ट, भोपाल
4. कम्प्यूटर अनुभाग, भोपाल
5. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अमर सिंह सिसोदिया)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
भोपाल

न्यायालय—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल मध्य प्रदेश


जावक क्रमांक-149/2023

भोपाल, दिनांक-28.06.2023

// विविध आदेश //

माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2023 के शासकीय अवकाश के दौरान आवश्यक आपराधिक एवं रिमाण्ड कार्य को निष्पादित करने के लिए निम्नानुसार तहसील न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल के न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित की जाती हैं। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे:-

क्रं	न्यायिक अधिकारी का नाम	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023
1	श्री रवि नायक, जेएमएफसी	2		
2	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.	9		
3	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी	15		
4	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी	16		
5	श्री रवि नायक, जेएमएफसी	23		
6	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.	29		
7	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी	30		
8	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी		6	
9	श्री रवि नायक, जेएमएफसी		13	
10	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.		15	
11	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी		19	
12	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी		20	
13	श्री रवि नायक, जेएमएफसी		27	
14	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.		30	
15	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी			3
16	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी			7
17	श्री रवि नायक, जेएमएफसी			10
18	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.			16
19	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी			17
20	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी			18


28.06.2023

21	श्री रवि नायक, जेएमएफसी		19
22	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.		24
23	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी		28

नोट:-

1. यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुए मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमांड ड्यूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. उक्त अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिवस पर कोई अवकाश अचानक घोषित किया जाता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे:-
 1. माह जुलाई 2023 में सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी, तह. बैरसिया भोपाल
 2. माह अगस्त 2023 में श्रीमती हर्षिनी यादव, जेएमएफसी तह. बैरसिया भोपाल
 3. माह सितम्बर 2023 में श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी तह. बैरसिया भोपाल
3. पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी। तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।
4. यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते हैं तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल को देनी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।

(अमर सिंह सिसोदिया)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

भोपाल 28.06.2023

भोपाल, दिनांक 28.06.2023

पृष्ठांकन क्रमांक...141.../2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैरसिया भोपाल
3. रीडर, सीजेएम कोर्ट, भोपाल
4. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अमर सिंह सिसोदिया)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

भोपाल